SITRA beneficiaries in Himachal Pradesh

1666. SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1210, given in the Rajya Sabha on 9th December 1998, and State:

(a) whether Government have conducted any survery to find out the number of beneficairaies under SITRA in Himachal Pradesh, district-wise and Panchayat-wise; if so, the details of the survey; and

(b) whether Government have considered or propose to consider special status for the communities of GADDIES, LOHLAS and DHOGARIES in this scheme, for encouragement by way of training them; if so, the steps taken so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) The number of beneficiaries covered under SITRA is being monitored district-wise. Panchyat-wise monitoring is not done by the Ministry. The number of beneficiaries covered under SITRA in Himachal Pradesh since the inception of the scheme in 1992 is given in the statement (*See* below)

(b) There is no such proposal under consideration.

No. of beneficiaries covered under SITRA since inception of the scheme in 1992.

S.No.	Name of District	No. of bencficiaries
1.	Bhilaspur	346
2.	Chamba	719
3.	Hamirpur	696
4.	Kangra	4859
5.	Kinaur	293
6.	Kullu	816
7.	Lahaul & Spiti	460
8.	Mandi	685
9.	Shimla	1473
10.	Sirmour	293
11.	Solan	1151
12.	Una	864
	TOTAL:	12655

चुनाव न कराने पर पंचायतों की सहायता रोकना

1667. **डा॰ मोहन बाबू:**
श्री पी॰ प्रभाकर रेड्डी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन पंचायतों को सहायता रोकने पर विचार कर रही है जहां पर नगरपालिका के चुनाव नहीं कराए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और रोकी जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है,

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्यों ने आवंटित निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे प्रत्येक मामले की समीक्षा की है और राज्यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें राज्यों द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय भी दिए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) जी, हां। सरकार ऐसे राज्यों को केन्द्रीय सहायता की रिलीज रोक देने पर विचार कर रही है जिन्होंने पंचायत चुनाव नहीं करवाएं हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां पंचायतों के लिए लक्षित हैं। यह अनिवार्य है कि पंचायतें निधियां प्राप्त करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की स्थिति में होनी चाहिए।

(ख) असम, कर्नाटक और पांडिचेरी की राज्य सरकारों से उनके राज्यों में शीघ्रातिशीघ्र पंचायत चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है और यह सूचित कर दिया गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि वह तब तक उनको निधियों का हस्तांतरण जारी नहीं रखेगी जब तक पंचायतें गठित नहीं कर ली जाती। कर्नाटक और पांडिचेरी के जवाब की प्रतीक्षा है। असम से संबंधित मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) आबंटित निधियों के अन्यत्र उपयोग की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों को निधियां रिलीज करने वाले मंजूरी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि रिलीज की गई निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए वे जारी की गई हैं। राज्य सरकारों को अनेक बार और अनेक स्तरों पर सलाह भी दी गई है कि आबंटित निधियों को अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए।